न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:— **श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या: 212/2019 दायर दिनाँक 05.09.2019

वादी

1. रामनिवास पुत्र पूनमचन्द जांगिड़ जाति जांगिड़ आयु 66 वर्ष निवासी कोलिया, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. जगदीश प्रसाद पुत्र स्व0 हनुमान
2. दामोदर प्रसाद पुत्र स्व0 सत्यनारायण
3. बेणीगोपाल पुत्र स्व0 सत्यनारायण
4. बृजकुमार पुत्र स्व0 सत्यनारायण
5. दीपककुमार पुत्र स्व0 रामनिवास
6. सन्तोष कुमार पुत्र स्व0 रामनिवास
7. दिनेश कुमार पुत्र स्व0 रामनिवास
8. गंगाबाई पत्नि स्व0 रामनिवास
9. पुरूषोतम पुत्र स्व0 रामधन
10. श्रीमान्त पुत्र स्व0 मेघराज
11. श्यामसुन्दर पुत्र स्व0 मुरलीधर
12. रामगोपाल पुत्र स्व0 मुरलीधर
13. सतीश कुमार पुत्र स्व0 मुरलीधर समस्त कोम महाजन निवासीगण कोलिया
14. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, दुरूस्ती व स्थायी निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा— 88, 188 R.T.Act.

उपस्थित:—

1. श्री केशव ओझा वकील वादी।

—:: निर्णय ::—

दिनाँक 29.07.2022

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम कोलिया की सरहद में स्थित खेत खसरा सं0 1593 रकबा 0.0600 हैक्टे0 पुराना खसरा सं0 1629 रकबा 08 बिस्वा जिसकी खातेदारी राजस्व रिकार्ड में राधाकिशन हनुमान पि0 रूगनाथ कोम महाजन निवासी कोलिया के नाम से अंकित है। उक्त खातेदार प्रतिवादी सं0 01 ता 13 के पूर्वज है।

यह है कि उपरोक्त वर्णित खेत खसरा सं0 1593 रकबा 0.0600 हैक्टे0 पुराना खसरा सं0 1629 रकबा 08 बिस्वा भूमि वादी ने जरिये ईकरारनामा दिनांक 19.01.2016 से प्रतिवादी सं0 01 से कीमत की रकम अदा करके क्रय की। नकल ईकरारनामा दावा के साथ संलग्न है।

यह है कि उक्त तथाकथित खसरा सं0 1593 रकबा 0.0600 हैक्टे0 पुराना खसरा सं0 1629 रकबा 08 बिस्वा को क्रय करने के बाद वादी इस अपनी क्रयसुदा कब्जाकाश्त की भूमि पर साधिकार बोनाफाईड प्रचेजर के काबिज चला आ रहा है।

यह है कि यद्यपि वादी अपनी खरीदसुदा कब्जाकाश्त की उक्त 08 बिस्वा भूमि पर काबिज चले आ रहा है, मगर वादी को हाल ही विदित हुआ है कि उक्त खसरा की खातेदारी प्रतिवादी सं0 01 के नाम से अंकित न होकर उनके पूर्वजान के नाम से अंकित है साथ ही प्रतिवादी सं0 01 वादी के नाम से पंजीकृत विक्रय पत्र पंजीकृत करवाने में गुरेज कर रहा है। जिससे वादी अपनी खरीदसुदा कब्जाकाश्त की भूमि को सुरक्षित नही समझता [illegible] दी को यह दावा बाबत घोषणा खातेदारी का करना लाजमी आया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 14:00:00 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना वादी निम्न प्रकार है :–

कि वाद में उपरोक्त वर्णित खसरा सं0 1593 रकबा 0.0600 हैक्टे0 (पुराना खसरा सं0 1629 रकबा 08 बिस्वा) जो कि वादी का खरीदसुदा कब्जासुदा स्वामित्व का है, की खातेदारी वादी के नाम से घोषित की जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जावे तथा राधाकिशन, हनुमान पि0 रूगनाथ जाति महाजन निवासी कोलिया के नाम खातेदारी से हटाये जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी सं0 01 का ईकबालिया जवाब पेश हुआ। प्रतिवादी सं0 02 ता 14 बावजुद तामिल के अनुपस्थित। अतः इनके खिलाफ एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। साक्ष्या वादी में आदेश 18 नियम 04 सी.पी.सी. शपथ–पत्र का पेश हुआ।

दस्तावेजी साक्ष्य में वादी ने, प्रदर्श–01 में ईकरारनामा बैचाण, प्रदर्श–2 शपथ–पत्र, प्रदर्श–3 ग्राम पंचायत कोलिया का अनापत्ति प्रमाण–पत्र, प्रदर्श–4 में जमाबन्दी ग्राम कोलिया सम्वत् 2070–2073, प्रदर्श–5 में जमाबन्दी ग्राम कोलिया सम्वत् 2073–2073, प्रदर्श–6 आंशिक नकल नक्शा, प्रदर्श–07 जमाबन्दी ग्राम कोलिया सम्वत् 2070–2073, प्रदर्श–8 नकल ट्रेस नक्शा सन् 1960–1961 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्शित हुऐ।

विद्वान अधिवक्ता वादी की सारगर्भित बहस सुनी गयी, अधिवक्ता वादी ने वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया, विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया। वादी द्वारा क्रय सुदा हिस्से का नामान्तकरण वादी के नाम अब तक नही होकर भूमि पूर्व खातेदार/विक्रेता के वारिसानों के नाम ही दर्ज है व वादी द्वारा क्रयसुदा हिस्से की भूमि पर वादी का कब्जा काश्त है। अतः वादी के नाम खातेदारी घोषित किया जाना उचित प्रतित होता है।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन् किया। अतः, बाद विवेचन, वाद वादी डिक्री सादिर किया जाता है।

–:आदेश :–

अतः हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद कोलिया के खेत खसरा सं0 1593 रकबा 0.0600 हैक्टे0 (पुराना खसरा सं0 1629 रकबा 08 बिस्वा) वादी की खरीदसुदा कब्जासुदा भूमि की खातेदारी वादी के नाम से घोषित की जाती है व राधाकिशन, हनुमान पि0 रूगनाथ जाति महाजन निवासी कोलिया के नाम खातेदारी से हटाये जाते है।

तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनाँक **29.07.2022** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(कार्तिकेय मीणा)
R.A.S.
सहायक कलक्टर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 14:00:00 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री कार्तिकेय मीणा, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 212/2019 दायर दिनाँक 05.09.2019

वादी

1. रामनिवास पुत्र पूनमचन्द जांगिड़ जाति जांगिड़ आयु 66 वर्ष निवासी कोलिया, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादीगण

1. जगदीश प्रसाद पुत्र स्व0 हनुमान
2. दामोदर प्रसाद पुत्र स्व0 सत्यनारायण
3. बेणीगोपाल पुत्र स्व0 सत्यनारायण
4. बृजकुमार पुत्र स्व0 सत्यनारायण
5. दीपककुमार पुत्र स्व0 रामनिवास
6. सन्तोष कुमार पुत्र स्व0 रामनिवास
7. दिनेश कुमार पुत्र स्व0 रामनिवास
8. गंगाबाई पत्नि स्व0 रामनिवास
9. पुरूषोतम पुत्र स्व0 रामधन
10. श्रीमान्त पुत्र स्व0 मेघराज
11. श्यामसुन्दर पुत्र स्व0 मुरलीधर
12. रामगोपाल पुत्र स्व0 मुरलीधर
13. सतीश कुमार पुत्र स्व0 मुरलीधर समस्त कोम महाजन निवासीगण कोलिया
14. तहसीलदार डीडवाना।

दावा बाबत्
बंटवारा एवं घोषणा खातेदारी
अन्तर्गत धारा– 88, 188 R.T.Act.

दिनाँक 29.07.2022

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री केशव ओझा वकील वादी की और से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, हस्व दावा डिक्री सादिर कर, वाकै सरहद कोलिया के खेत खसरा सं0 1593 रकबा 0.0600 हैक्टे0 (पुराना खसरा सं0 1629 रकबा 08 बिस्वा) वादी की खरीदसुदा कब्जासुदा भूमि की खातेदारी वादी के नाम से घोषित की जाती है व राधाकिशन, हनुमान पि0 रूगनाथ जाति महाजन निवासी कोलिया के नाम खातेदारी से हटाये जाते है।

तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत......................–.....................

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 29.07.2022 को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिंक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिंक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का जो जिसके के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartikeya Meena
Date: 2022.10.14 14:00:00 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
डीडवाना
सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Scanned with OKEN Scanner